पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.2231
दिनांक-10.09.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- **नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.09.25 को वादी मुकदमा द्वारा वादी की पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को विपक्षी द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध मे सूचित किया । वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0स0-313/2025 अन्तर्गत धारा 87/137(2) BNS पंजीकृत कर पीड़िता / अपहृता व अभि0 की तलाश प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 10.09.25 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम को जरिये अभिसूचक जानकारी मिली की अभि0 अभिषेक पीड़िता / अपहृता के साथ शक्तिनगर ढ़ाल के पास खड़ा है जो कहीं जाने की फिराक में है।

इस सूचना पर थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर पीड़िता / अपहृता को अभि0 के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया तथा अभि0 अभिषेक बाल्मीकि पुत्र भरत बाल्मीकि निवासी हालपता 22/631 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता-जैन कालोनी फैजुल्लागंज-2 निरालानगर थाना मंडियाँव लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। पीड़िता / अपहृता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 65(1) BNS व 4/5 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभि0 के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 का विवरण -

अभिषेक बाल्मीकि पुत्र भरत बाल्मीकि निवासी हाल पता 22631 इन्दारनगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूल पता – जैन कालोनी फैजुल्लागंज -2 निरालानगर थाना मडियांव लखनऊ उम्र 24 वर्ष

अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0स0 313/2025 अन्तर्गत धारा 87/137(2)/65(1) BNS व 4/5 पाक्सो एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अमित कुमार
2. उ0नि0 अजय कुमार,

3-म0आ0 आराधना सेंगर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.2232
दिनांक- 10.09.2025

जोन- पश्चिमी / थाना चौक लखनऊ

- 01 शातिर टप्पेबाज अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से टप्पेबाजी का 02 अदद कान का टाप्स (पीली धातु) बरामद।
- थाना चौक पुलिस की कार्यवाही।

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों एवं वाँछित-वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त चौक के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चौक के कुशल नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा एक शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया गया है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.09.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सुमन पत्नी अजय कुमार धानुक नि0-466/पी0यू-42 पीर बुखारा निकट बालमिकी मंदिर हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि आज दि0-09/09/25 को समय लगभग सुबह 11.00 बजे क्वीन मैरी अस्पताल से अपने घर ई-रिक्शे से वापस लौट रही थी ,उसी ई रिक्शे में बैठे दो अन्य व्यक्ति बैठ गए और मुझसे बातचीत करने लगे और बात-चीत के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम आबिद व दूसरे ने गणेश बताया और कुछ दूर चलने पर मुझसे अपनी समस्या बताकर मुझसे पैसे मांगने लगे जिस पर मैने कुछ रूपया देना चाहा किन्तु लेने से मना कर दिया और कहा कि मेरे पास पैसे हैं।

आप अपना कान का टप हमें दे दो इसके बदले में आपको इसके पैसे दे दूंगा मुझे लगा कि यह मुसीबत में है इसलिये मैने इसका पैसा लेकर अपने कान का टप्स दे दिया लेकिन जब मैने खोलकर देखा तो नोटो की जगह पर एक कागज की गड्डी कपडे में सिली हुई निकली।

जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा - 318(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.09.2025 को समय 00.50 बजे अभियुक्त आबिद पुत्र शकील अहमद निवासी-268/12 काशीराम कालोनी हंसखेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष को हुसैनाबाद इण्टर कॉलेज का पिछले गेट के पास थाना चौक लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

03-अपराध का उद्देश्यः- टप्पेबाजी।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/व्यवसायः-

1. आबिद पुत्र शकील अहमद निवासी- 268/12 काशीराम कालोनी हंसखेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष (दैनिक मजदूरी)

05-अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 228/2025 धारा - 318(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

06-बरामदगी का विवरणः-

1. 2 अदद कान के टॉप्स पीली धातु व 115 रूपये नगद

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना चौक लखनऊ

1. श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अंकित मौर्या थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 अमित कुमार भारती थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
5. का0 अरविन्द कुमार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 2236
दिनांक-10.09.2025

जोन- उत्तरी

- **जोन उत्तरी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाया गया विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान।**

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ श्री बबलू कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त उत्तरी लखनऊ श्री गोपाल कृष्ण चौधरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी श्री जितेन्द्र कुमार दुबे के निर्देशन में उत्तरी जोन में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा नगर निगम की टीमों की सहायता से भीड़-भाड़ वाले स्थानों, **पूर्णिया पुल के नीचे अतिक्रमण हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.2233
दिनांक- 10.09.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम लखनऊ

थाना जानकीपुरम क्षेत्र में बन्द घर में हुई चोरी घटना का का किया गया सफल अनावरण ।

- बन्द घरों में चोरी करने वाले 03 नफर अभियुक्तों किया गिरफ्तार
- व घटना में प्रयुक्त दो अदद मोटरसाइकिल व चोरी की गयी ज्वेलरी बरामद ।
- थाना जानकीपुरम पुलिस टीम की सफलता।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.09.2025 को थाना स्थानीय पर वादी चिरन्तन सिंह पुत्र शिव मिलन सिंह निवासी 645-बी/153 अभिषेकपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर का मेन गेट का दरवाजा तोड़कर नगर पैसे जेवरात,कपड़ा व अन्य सामान चोरी कर लिया है। शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 202/2025 धारा 305ए BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह को सुपुर्द हुई।

दिनांक 10.09.2025 को उ0नि0 मय हमराह थाना क्षेत्र में घटित चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु क्षेत्र में मामूर होकर भिठौली क्रासिंग चौराहे पर मौजूद थे तथा आपस में चोरी की घटना के अनावरण के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे कि, मुखबिर खास की सूचना के आधार पर नौवा खेड़ा मंदिर के पास खाली मैदान में पेड़ के नीचे से अभियुक्तगण 01.रावेन्द्र कुमार गौतम उर्फ छोटू पुत्र राम खिलावन उम्र 26 वर्ष निवासी फरीदीपुर दुर्गापुरम कालोनी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ 02. शिवा चौरसिया उर्फ जोन पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया उम्र 24 वर्ष निवासी हाल पता- हसंखेडा चुन्नु खेडा काशीराम कालोनी थाना पारा, जनपद लखनऊ मूल पता गांव बिरवा हथौडा थाना संडीला जनपद हरदोई 03. मुन्ना बाबू उर्फ सोनू पुत्र कल्लू उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी- लालनगर निकट हनुमान मंदिर थाना पारा जनपद लखनऊ को मु0अ0सं0-202/2025धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस में समय करीब 00.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल SPLENDOR प्लस रंग काला वाहन संख्या UP32PV3825 चेचिस नं0- MBLHAW225RHH47144 इंजन नं0-HA11E7RHH52102 ,मोटरसाइकिल अपाचे RTR 160 रंग काला चेचिस नंबर MD634BE85S2H32767 तथा चोरी गये सामान 03 अदद चैन (पीली धातु), 04 जोडी कान की बाली (पीली धातु), 03 अदद अगूठी (पीली धातु) ,01अदद मंगल सूत्र मय माला,01अदद लाकेट (पीली धातु) बरामद किया गया ।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4)/317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी । अभियुक्तगण उपरोक्त मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्य:- चोरी करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रावेन्द्र कुमार गौतम उर्फ छोटू पुत्र राम खिलावन उम्र 26 वर्ष निवासी फरीदीपुर दुर्गापुरम कालोनी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ (व्यवसाय – आटो चालक)।
2. शिवा चौरसिया उर्फ जोन पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया उम्र 24 वर्ष निवासी हाल पता- हसंखेडा चुन्नु खेडा काशीराम कालोनी थाना पारा, जनपद लखनऊ मूल पता गांव बिरवा हथौडा थाना संडीला जनपद हरदोई (व्यवसाय – आटो चालक)।
3. मुन्ना बाबू उर्फ सोनू पुत्र कल्लू उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी- लालनगर निकट हनुमान मंदिर थाना पारा जनपद लखनऊ (व्यवसाय – कबाड़ी)।

04-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1.अभियुक्त- रावेन्द्र कुमार गौतम उर्फ छोटू पुत्र राम खिलावन

(I)मु0अ0स0 490/23 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ

(II)मु0अ0स0 38/24 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ

2.शिवा चौरसिया उर्फ जोन पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया

(I)मु0अ0स0 515/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

(II)मु0अ0स0 516/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

(III)मु0अ0स0 527/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

(IV)मु0अ0स0 538/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

(V)मु0अ0स0 589/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

(VI)मु0अ0स0 606/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

(VII)मु0अ0स0 08/2025 धारा 305ए/317(2)/331(4) BNS थाना पारा लखनऊ

(VIII)मु0अ0स0 23/2025 धारा 305ए/317(2)/331(4) BNS थाना पारा लखनऊ

(IX)मु0अ0स0 41/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुंडागर्दी अधिनियम थाना पारा लखनऊ

3.मुन्ना बाबू उर्फ सोनू पुत्र कल्लू

(I)मु0अ0स0 603/2025 धारा 305ए/331(4)BNS थाना पारा लखनऊ

(II)मु0अ0स0 511/2024 धारा 305ए/317(2)331(4)BNS थाना ठाकुरगंज लखनऊ

(III)मु0अ0स0 86/2025 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(4)BNS थाना ठाकुरगंज लखनऊ

(IV)मु0अ0स0 127/2025 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(4)BNS थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05-बरामदगी:-

1. मोटरसाइकिल SPLENDOR प्लस रंग काला वाहन संख्या UP32PV3825 चेचिस नं0-MBLHAW225RHH47144 इंजन नं0-HA11E7RHH52102
2. मोटरसाइकिल अपाचे RTR 160 रंग काला चेचिस नंबर MD634BE85S2H32767
3. 03 अदद चैन (पीली धातु)
4. 04 जोडी कान की बाली (पीली धातु)
5. 03 अदद अगूठी (पीली धातु)
6. 01 अदद मंगल सूत्र मय माला
7. 01 अदद लाकेट (पीली धातु)

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. व0उ0नि श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा
2. उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री मनीष कुमार चौहान
4. उ0नि0 श्री मुकुल आनन्द
5. हे0का0 अजीत कुमार वर्मा
6. का0 रविशंकर
7. का0 राहुल तिवारी
8. का0 ज्ञानरतन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-.2234

दिनांक- 10.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा गोली मारकर हत्या करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया।**
- **अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 01 अदद आला कत्ल लाइसेंसी बन्दूक DBBL व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेंडर प्रो वाहन सं0 UP 32 FZ 3250 बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

कल दिनांक 09.09.2025 को थाना मडियांव लखनऊ पर वादी मुकदमा श्री नितिन मिश्रा पुत्र अनिल कुमार मिश्रा निवासी 532ख/189(30-31) मेहदी टोला अलीगंज लखनऊ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत वादी के चाचा अरून कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 अमर नाथ मिश्रा निवासी दिलकुश विहार पुरनिया थाना मडियांव लखनऊ की घर में नौकरानी के पति मनोज पाण्डेय द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया।

दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 09.09.2025 को मु0अ0सं0 541/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1. घर की नौकरानी का पति मनोज पाण्डे पुत्र राम नरेश पाण्डे निवासी सलनापुर थाना सारदानगर जिला लखीमपुर के पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान थाना मडियांव पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 10.09.2025 को वादी के चाचा अरून कुमार मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त मनोज पाण्डेय पुत्र राम नरेश पाण्डेय नि0 ग्राम सल्हानापुर पोस्ट वैजनाथ पुरवा थाना कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी, हालपता किराए का मकान भैंसा मऊ थाना बी0के0टी0 लखनऊ उम्र 39 वर्ष को लोखड़िया गांव के मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक अदद लाइसेंसी बन्दूक DBBL व घटना करके भागने के लिए अभियुक्त द्वारा प्रयोग की गयी मोटर साइकिल स्पलेंडर प्रो. वाहन सं0 UP 32 FZ 3250 को बरामद किया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध मृतक अरून कुमार मिश्रा से होने का शक होने के कारण गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मनोज पाण्डेय पुत्र राम नरेश पाण्डेय नि0 ग्राम सल्हानापुर पोस्ट वैजनाथ पुरवा थाना कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी, हालपता किराए का मकान भैंसा मऊ थाना बी0के0टी0 जिला लखनऊ उम्र 39 वर्ष (व्यवसाय- प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड)

04-बरामदगीः-

- एक अदद लाइसेंसी बन्दूक DBBL
- मोटर साइकिल स्पेलेंडर प्रो वाहन सं0 UP 32 FZ 3250

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री शिवानन्द मिश्र (विवेचक)
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार
3. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र गौड़
4. उ0नि0 शुभम तिवारी
5. उ0नि0 अखिलेश सिंह
6. हे0कां0 आकाश सिंह
7. हे0कां0 दुर्गेश सिंह
8. कां0 मयंक कुमार
9. कां0 संजय यादव
10. कां0 विकास

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2230
दिनांक 10.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- बन्थरा

- **रिकबरी ऐजेन्ट की हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **हत्या करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना बन्थरा एवं सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

कार्यवाही:-

थाना बन्थरा एवं सर्विलांस सेल दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना बन्थरा के ग्राम दादपुर में रिकवरी ऐजेन्ट की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों **1. विवेक सिंह** पुत्र शिवनरेश सिंह निवासी दादुपुर थाना बंथरा जिला लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष **2. वसीम अली खान** पुत्र स्व0 एजाज निवासी महेन थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर हालपता गौरीबाजार थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को **ग्राम दादूपुर से** गिरफ्तार करते हुए थाना बन्थरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 317/2025 धारा 103(1) भा0न्या0सं0 थाना बन्थरा लखनऊ का सफल अनावरण किया गया।

घटना का विवरण:-

- दिनांक 09.09.2025 को थाना बन्थरा क्षेत्रान्तर्गत दादपुर में स्वास्तिक एसोसिएटस के रिकवरी ऐजेन्ट, कुनाल शुक्ला पुत्र पुत्र अशोक शुक्ला निवासी डेस्टिनी कालोनी दादूपुर थाना बन्थरा उम्र करीब 26 वर्ष का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट एवं उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के भाई सौरभ शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला निवासी डेस्टिनी कालोनी, दादूपुर थाना बन्थरा की लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0- 317/2025 धारा- 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
- अभियोग के अनारण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था जिसमें सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी को भी लगाया गया। इन टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरान्त मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. विवेक सिंह पुत्र स्व0 शिवनरेश सिंह निवासी दादूपुर थाना बन्थरा जनपद- लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष 2. वसीम अली खान पुत्र स्व0 ऐजाज निवासी ग्राम महेन्द्र थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
- विवेचना में विवेक सिंह व वसीम अली खान का नाम संदिग्ध रूप में सामने आया जिसमें वसीम अली खान उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो पूछताछ में वसीम अली खान उपरोक्त ने विवेक सिंह उपरोक्त के साथ योजना बनाकर मृतक की हत्या की एवं हत्या उपरान्त लोहे के सब्बल को साक्ष्य छुपाने के उद्देश से अभियुक्त वसीम अली खान उपरोक्त ने विवेक के ऑफिस के बगल में बनी बॉउण्ड्री वाल के पीछे फेक दिया जिसे अभियुक्त वसीम अली खान की निशादेही पर बरामद किया गया तथा मृतक कुनाल शुक्ला का मोबाइल को गिट्टी का बना प्लान्ट से नगवा नाला में फेक दिया गया अभियुक्त वसीम अली खान उपरोक्त व अभियुक्त विवेक सिंह उपरोक्त ने मिलकर पैसे के लेनदेन व मृतक कुनाल शुक्ला का अभियुक्त विवेक सिंह की पत्नी के मध्य प्रेमप्रसंग था जिसके कारण विवेक सिंह ने वसीम के साथ मिल कर मृतक कुनाल शुक्ला की हत्या करने की योजना बनायी अभियुक्त वसीम अली खान उपरोक्त ने अभियुक्त विवेक सिंह के द्वारा अपने मोबाइल से वसीम अली खान से सम्पर्क कर मृतक की हत्या के लिए सही अवसर बताते हुए बुलाया और बताया कि कुनाल मेरे आफिस जो दादुपुर में है वही पर बने कमरे में सो रहा है।

उसके उपरान्त वसीम अली खान उपरोक्त विवेक के ऑफिस में रखे लोहे के सब्बल से मृतक कुनाल शुक्ला की हत्या कर दी शव को आफिस में बने कमरे मे ही छोड़ दिया। उपरोक्त प्रकरण में धारा 238क/61(2)क बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त 1.वसीम अली खान ने बताया कि वह विवेक सिंह के आफिस पर कई वर्षों से काम कर रहा है । विवेक का और मेरा परिवारिक सम्बन्ध है। विवेक सिंह अपना सुखदुख बताते हैं विवेक सिंह की पत्नी से कुनाल शुक्ला बातचीत करता था तथा विवेक सिंह को यह बात पसन्द नही थी तथा विवेक सिंह व कुनाल शुक्ला के बीच कुछ पैसों को लेकर आपसी मनमुटाव चल रहा था हमलोगो के द्वारा कुनाल शुक्ला को कई बार समझाने का प्रयास किया गया परन्तु वह मानता नही था तथा बात बात पर हमलोगो को धमकी भी देता था इसके आचरण से परेशान होकर विवेक सिंह ने मेरे साथ मिलकर योजना बनाई कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाना है और सर दिनांक 08/09/2025 को दिन मे हमलोगो ने प्लान किया कि आज रात में कुनाल को दारू पिला के सुला देना है और जब यह नशे की हालत मे सो जाये तब इसको मौत के घाट उतार देना है। विवेक सिंह ने मुझे बताया था कि जहाँ कुनाल सोता है वहीं बेड के पास में लोहे का सब्बल रखा हुआ है उसी से सर पर तगड़ा वार करना है ताकि वह उठने ना पावे। उक्त प्लान के मुताबिक जब विवेक सिंह ने कुनाल शुक्ला को दारू पिलाकर नशे की हालत में कर दिया तब मुझे समय करीब 9.30 PM बजे फोन करके बताया कि मौसम साफ है खर्रा सो रहा है उसके बाद मै विवेक सिंह के आफिस पहुंचा तो कुनाल शुक्ला अन्दर बेड पर चारो खाने चित सो रहा था मैने बेड के पास रखा हुआ लोहे का सब्बल उठाया और उसके चेहरे पर सब्बल से चार पांच बार प्रहार किया जिससे एक दम से खून का फुहारा निकल पड़ा जिससे मेरे चेहरे व कपड़ो पर खून काफी लग गया था तथा आसपास दीवालों पर भी खून के छींटे पड़ गये थे। मै वहाँ से निकलकर बाहर आया बराबर में सीमेन्टेड बाऊण्ड्रीवाल के उस पार सब्बल को फेंककर सीधा गिट्टी प्लान्ट पर पहुँचा वहाँ पर विवेक सिंह मेरा इंतजार कर रहा था मैने विवेक सिंह को बताया कि काम हो गया है व मै कुनाल का मोबाइल भी लाया हूँ तो विवेक सिंह ने कहा कि मोबाइल से हमलोग पकड़े जा सकते हैं ऐसा करो कि मोबाइल को पास के नाले में फेंक दो तो मैने मोबाइल को नाले में फेंक दिया इसके बाद मै घर चला गया था तथा मैने अपने कपड़े गिट्टी प्लान्ट पर ही धुलकर एक पालीथीन में रखकर झाड़ियों में बनी लेट्रिन में छिपा दिया था तथा विवेक सिंह की मोटरसाइकिल में लाइट स्काई कलर का टीशर्ट व ग्रे कलर का पालीथिन में रखा हुआ था। उसे निकालकर पहन लिया था तथा उसी पालीथिन मे पहने हुये कपड़े जिस पर खून लगा था धुलकर इसी पालीथिन में छिपा दिया था जिसे मैने आपको बरामद करा दिया है। जब आप लोगो द्वारा सब्बल बगल वाले प्लाट से बरामद किया गया था तब मै भी मौके पर ही उपस्थित था ताकि किसी को संदेह ना हो। लोहे के सब्बल को आप लोगो द्वारा कब्जे मे ले लिया गया था।

अभियुक्त 2.विवेक सिंह पुत्र शिव नरेश सिंह निवासी दादूपुर थाना बंथरा लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष बताया और कड़ाई से पूछताछ करने पर जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि साहब कुनाल शुक्ला और मेरी पत्नी के बीच में अकसर बात होती थी। जिसकी वजह से मेरी गांव में बदनामी हो रही थी। और कुनाल शुक्ला से मेरा पैसों के लेनदेन का भी विवाद था। इसी बात से मै परेशान रहता था तो मैने अपने यहाँ काम करने वाले वसीम अली खान पुत्र स्व. एजाज निवासी ग्राम महेन थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर हालपता गौरी थाना सरोजनीनगर लखनऊ के साथ मिलकर योजना बनाया कि कुनाल को रास्ते से हटा दिया जाये। दिनांक 08.09.25 की रात को मैने कुनाल को दारू खूब पिलाया था जब वह नशे मे होकर सो गया तब समय करीब 09.30 बजे मैने वसीम को फोन किया कि कुनाल शुक्ला खर्रा सो रहा है मौसम साफ है दरवाजा खुला है कहकर उसे इशारे से सही समय होने की बात बता दी। जो पहले से ही हम लोग तय किये थे और इसके एवज में मैने वसीम को मकान बनाकर देने का प्रलोभन दिया था तो वसीम रात में मेरे आफिस आकर के आफिस के अंदर सो रहे कुनाल शुक्ला को वहीं पर रखे लोहे के सब्बल से वसीम ने कई बार ताबड़तोड़ वार करके मेरे कहने पर उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वसीम रात में गिट्टी प्लाण्ट पर आकर के मुझे हत्या करने की बात बतायी और बताया कि लोहे का सब्बल वहीं बगल वाले खाली प्लाट में फेंक दिया है और कुनाल का मोबाइल भी साथ लाया था तो मैने वसीम से कहा कि मोबाइल से हम लोग पकड़े जा सकते हैं इसलिये इसे पास के नाले में फेंक दो। फिर वसीम ने कुनाल का मोबाइल बहते गहरे नाले में फेंक दिया था ।

अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 317/2025 धारा 103(1) भा0न्या0सं0 बढोत्तरी धारा धारा 238क/61(2)क बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. विवेक सिंह पुत्र शिवनरेश सिंह निवासी दादुपुर थाना बंथरा जिला लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष
2. वसीम अली खान पुत्र स्व0 एजाज निवासी महेन थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर हालपता गौरीबाजार थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

विवेक सिंह-

1. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 115(2),191(2) बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 125/2025 धारा 115(2),191(2),351(3) बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ

गिरफ्तारी स्थल-

1. ग्राम दादूपुर थाना बन्थरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना बन्थरा की संयुक्त पुलिस टीम
2. सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2235

दिनांक- 10.09.2025

- **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाया गया महिला बीट अभियान ।**

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेद्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ श्री बबलू कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस कमिश्नरेट के सभी जोनों में महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष महिला बीट अभियान चलाया गया । इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा स्कूल, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, मुख्य मार्गो, चौराहों आदि पर महिला सशक्तिकरण हेतु / महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गईं, जैसे कि 1090 महिला हेल्पलाइन,112 आपातकालीन सेवा और महिला पावर लाइन जैसी सेवाओं के बारे में व छात्र/छात्राओ को गुड टच/बैड टच के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना है।

जोन-पूर्वी

जोन पूर्वी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

- थाना चिनहट म0हे0का0 अमरावती दुबे व म0का0 पारुल पुलिस टीम द्वारा थाना चिनहट क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र ग्राम निजामपुर मल्हौर पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना बीबीडी म0हे0का0 रेखा पाण्डेय म0का0 निर्मला गौतम व म0का0 रंजना टीम थाना बीबीडी द्वारा थाना बीबीडी क्षेत्रान्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र ग्राम उत्तरधौना बीट में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- थाना विभूतिखण्ड म0का0 आकृति द्वारा थाना विभूतिखण्ड क्षेत्रान्तर्गत कठौता पार्क में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- थाना गोमतीनगर म0का0 शिवानी वाजपेई व म0का0 निकिता कटियार पुलिस टीम थाना गोमतीनगर द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्वारी गांव में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना गोमतीनगर विस्तार म0का0 नीलम व म0का0 बबली पुलिस टीम द्वारा थाना गोमतीनगर विस्तार क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र मलेशिया मऊ पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना विकासनगर म0का0 सरिता, म0का0 पुष्पा म0का0 आकांक्षा व म0का0 निशा पुलिस टीम थाना विकास नगर द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कुर्सी रोड बाजार सब्जी मण्डी मामा चौराहा पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- थाना इन्दिरा नगर म0का0 नम्रता सचान,म0का0 अंजू रानी व म0का0 मयंक कुमारी पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र जरहरा में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना गाजीपुर म0का0 नेहा सिंह व म0का0 संगीता यादव पुलिस टीम थाना गाजीपुर द्वारा थाना गाजीपुर क्षेत्रार्न्गत भूतनाथ मार्केट में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना गुडम्बा म0का0 प्रगति देवी व म0का0 ज्योति यादव पुलिस टीम थाना गुडम्बा द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र अतरौली पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जोन-पश्चिमी

जोन पूर्वी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना वजीरगंज में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा के.के. हॉस्पिटल जाकर महिलाओं को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत पिंक बूथ,वुमेन पावर हेल्पलाइन, साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।
- थाना नाका में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा चारबाग बस स्टैण्ड पर महिलाओं को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना पारा में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा पुराना पारा जाकर महिलाओं को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।

जोन-मध्य

जोन-मध्य के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना कैण्ट महिला बीट कर्मचारियों द्वारा पिपरा घाट के पास छात्राओं व महिलाओं को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना आलमबाग की महिला बीट कर्मचारियों द्वारा ईको गार्डन के पास महिलाओ से सम्पर्क कर महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना महानगर की महिला बीट कर्मचारियो द्वारा बुद्ध बाजार गोल मार्केट जाकर महिलाओ/ छात्राओं को महिला बीट अभियान की जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- थाना हुसैनगंज की महिला बीट कर्मचारियों द्वारा बी.एस.एन.वी. कॉलेज में महिलाओ व छात्राओं को महिला बीट अभियान जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जोन-उत्तरी

जोन-उत्तरी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना अलीगंज म0उ0नि0 आशी गुप्ता और थाना अलीगंज के अन्य महिला कर्मचारी पुलिस टीम द्वारा थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत वंदना मांटेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल अलीगंज लखनऊ में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना सैरपुर उ0नि0 श्री मदन सिंह व महिला आरक्षी मधु देवी व म0आ0 शिवाला द्वारा थाना सैरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पल्हरी में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना महिगवां म0उ0नि0 प्रिया बाजपेयी और थाना महिगवां की पुलिस टीम द्वारा थाना महिगवां क्षेत्रान्तर्गत चौराहे बाजारो व पंचायत भवन इंदारा में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।